**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3367**

**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**नागरिक कार्यों हेतु सेना का उपयोग किया जाना**

**3367. श्री अहमद हसन:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असैनिक कार्यों हेतु सेना और अर्ध-सैनिक बलों को शामिल किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा मुंबई में रेलवे पुलों का निर्माण करने हेतु सैन्य अभियंताओं को लगाया जाना न्यायसंगत है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में, सशस्त्र सेनाओं को सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए निम्नलिखित कार्यों में लगाया जाता है :

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
2. आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए।
3. भूकम्प, बाढ़, अग्नि और अकाल जैसी प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान सहायता के लिए।
4. विकास परियोजनाओं की सहायता सहित अन्य प्रकार की सहायता, जिसमें सिविल प्राधिकारियों को जरूरत हो।

मुंबई स्थित एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन में हाल में हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए मुंबई के चयनित रेलवे स्टेशनों में लोगों की सुरक्षा के हित में अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के संदर्भ में अवसंरचना को बढ़ाए जाने की सख्त आवश्यकता थी।

**\*\*\***